

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 64 / 2025


दिनांक : 13.02.2025

श्रीमती सुषमा शर्मा (RJ0725), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा को दिनांक 24.02.2025 से 06.03.2025 तक 11 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जा./ज.जा. (अ.नि.प्र.) प्रकरण, भीलवाड़ा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2 (4)/08/2013/1274

दिनांक : 13.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 484 दिनांक 30.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती सुषमा शर्मा (RJ0725), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा।
4. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, भीलवाड़ा।


सहायक रजिस्ट्रार